संख्या-25/2015/328/71-2-15-आर0एम0-9/2011

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2015**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान के नये परिसर में एकेडमिक ब्लाक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3774/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ के नये परिसर में एकेडमिक ब्लाक के निर्माण हेतु रू0 363,89,00,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 30,20,59,000/- (रूपया तीस करोड़ बीस लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. **स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।**
2. **प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्थान द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।**
3. **संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।**
4. **संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।**
5. **प्रायोजना में ग्रीन बिल्डिंग हेतु सुप्रिरियर फिनिशिंग कार्य, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग एवं 40 एम0एम0 ड्राई स्टोन क्लेडिंग आदि का कार्य प्रस्तावित है, जो विशिष्ट प्रकृति का है। अत: संस्थान द्वारा इसकी गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन आदि के संबंध में किसी प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।**
6. **प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युतीकरण कार्यो यथा- मेन एल0टी0 पैनल, मैनेजमेंट सिस्टम, कन्ट्रोल पैनल, आउट डोर एवं इन डोर स्विच सिस्टम, एल्वी केबिल, अर्थिंग संबंधी कार्, डी0जी0सेट, सब स्टेशन से संबंधित, टान्सफार्मर, आउटगोइंग पैनल, ई0पी0ए0बी0एक्स, एच0एस0डी0 टैक्स, ई0एल0वी0 केबिल एवं लिफ्ट, कार लिफ्ट, केन्द्रीय वातानुकूलन (वी0आर0वी0 सिस्टम)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सी0सी0टी0वी0 के क्रय एवं स्थापना हेतु बजटरी आफर/कोटेशन संलग्न किये गये है। अत: इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अत: संस्थान यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

7. प्रायोजना प्रस्ताव में वाह्य स्थल विकास संबंधी कार्यमदों यथा-नेटवर्क फाइबर आप्टिक्स एवं यू0टी0पी0 केबिल के कार्य, लेबलिंग, आंतरिक रोड व सीवर, फिल्टर वाटर की आपूर्ति, स्टोर्म वाटर ड्रेन, उद्यानीकरण, लैण्ड स्केपिंग, स्ट्रीट लाइट, एस0टी0पी0, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ई0टी0पी0 टैरेस में लेड बोर्ड आदि की लागत एकमुश्त अथवा डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित की गई है। संस्थान का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अंतिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर उक्त कार्यमदों का संबंधित जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट्स पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
8. निदेशक संस्थान द्वारा प्रायोजना के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन आदि के संबंध में लोक निर्माण विभाग शासनादेश संख्या- 1230ईजी/23-5-13-25-ई0जी0/13 दिनांक 2-12-2013 में नामित प्रतिष्ठित पैनल में से थर्ड पार्टी के चयन संबंधित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
9. प्रायोजना प्रस्ताव में विद्युत कनेक्शन हेतु रू0 100 लाख की धनराशि का एकमुश्त प्रस्तावित की गयी है, परन्तु उक्त धनराशि विद्युत विभाग से प्राप्त विस्तृत लागत आगणन के आधार पर वास्तविक धनराशि के रूप में देय होगी।
10. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर संस्थान द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. उक्त कार्य की वर्तमान तभा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संस्थान की होगी। वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/360/दस-2015, दिनांक 03 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2015/ 328(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. **महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0, लखनऊ।**
5. **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त बजट-1**
6. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।**
7. **प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।**
8. **गार्डफाइल।**

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।